भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 4293

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि ऋण के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या

4293. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में कितना कृषि ऋण बकाया है और छोटे और सीमांत किसानों द्वारा लिए गए औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बढ़ते कृषि ऋण और किसानों द्वारा आत्महत्याओं के बीच संबंध का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण संकट को कम करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु व्यापक, एकमुश्त कृषि ऋण माफी का विचार है और किफायती संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने और ऋण के चंगुल से छुटकारे के लिए क्या दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों के लगातार विरोध और गहराते ग्रामीण आर्थिक संकट के प्रमाण के बावजूद इस मांग को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 (अनंतिम) तक छोटे और सीमांत किसानों सहित बकाया कृषि ऋण का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। तथापि, एडीएसआई की रिपोर्टें बढ़ते कृषि ऋणग्रस्तता और कृषि आत्महत्याओं के बीच संबंध के बारे में कोई आकलन उपलब्ध नहीं कराती हैं। आत्महत्या के कारण व्यापक हैं और रिपोर्ट में उनका विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। कृषि राज्य का विषय है, राज्य सरकारों द्वारा राज्य के प्रावधानों और नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि या राहत प्रदान की जाती है।

(ग) एवं (घ): वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए व्यापक एकमुश्त कृषि ऋण माफी का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने तथा इसे एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए कई नीतियां, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएं अपनाई और कार्यान्वित की हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान अभूतपूर्व रूप से 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं में कृषि के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, ऋण पहुंच में सुधार लाने और दीर्घावधि में ग्रामीण संकट को कम करने के लिए, सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रियायती ब्याज दर अल्पकालिक कृषि ऋण पर प्रदान करना है। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सहायता (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर कम होकर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल कृषि-व्यवस्था के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

अनुबंध-I

'कृषि ऋण के कारण किसान द्वारा आत्महत्या' के संबंध में दिनांक 19/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4293 के भाग (क) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

31 मार्च 2025 तक बकाया कृषि ऋण (अनंतिम),			**रुपये करोड़ में**
क्र.सं.	**राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश**	**कृषि से संबंधित कुल ऋण**	**एसएफ/एमएफ से संबंधित कुल ऋण**
1.	छत्तीसगढ़	29,290.78	9,780.87
2.	मध्य प्रदेश	162,385.12	56,909.95
3.	उत्तर प्रदेश	228,560.29	132,352.68
4.	उत्तराखंड	15,178.97	6,154.99
	केन्द्रीय क्षेत्र	**435,415.16**	**205,198.48**
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	278.88	136.69
6.	बिहार	95,578.07	55,284.62
7.	झारखंड	20,421.63	9,933.52
8.	ओडिशा	79,329.98	51,796.08
9.	पश्चिम बंगाल	86,033.70	48,079.25
	पूर्वी क्षेत्र	**281,642.26**	**165,230.16**
10.	अरुणाचल प्रदेश	491.44	261.96
11.	असम	20,803.77	12,714.60
12.	मणिपुर	1,255.76	861.96
13.	मेघालय	1,053.75	892.20
14.	मिजोरम	1,439.38	920.95
15.	नागालैंड	750.32	564.29
16.	सिक्किम	385.19	152.42
17.	त्रिपुरा	4,267.09	3,509.32
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**30,446.70**	**19,877.70**
18.	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	2,536.30	344.88
19.	दिल्ली	26,749.61	11,358.83
20.	हरियाणा	99,026.93	28,737.58
21.	हिमाचल प्रदेश	14,293.23	9,984.34
22.	जम्मू और कश्मीर	11,716.59	6,440.52
23.	लद्दाख	349.78	234.70
24.	पंजाब	104,353.28	46,666.88
25.	राजस्थान	187,322.27	91,604.78
	उत्तरी क्षेत्र	**446,347.99**	**195,372.50**
26.	आंध्र प्रदेश	308,716.83	211,657.36
27.	कर्नाटक	222,301.82	114,942.85
28.	केरल	152,198.71	110,652.43
29.	लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश	33.61	28.92
30.	पुडुचेरी	18,535.99	4,328.22
31.	तमिलनाडु	403,367.45	268,927.94
32.	तेलंगाना	144,346.41	93,316.54
	दक्षिणी क्षेत्र	**1,249,500.82**	**803,854.26**
33.	दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश	171.33	58.69
34.	दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	108.43	46.15
35.	गोवा	2,016.40	1,143.15
36.	गुजरात	144,330.45	65,585.97
37.	महाराष्ट्र	260,799.90	134,659.71
	पश्चिमी क्षेत्र	**407,426.51**	**201,493.68**
	सकल योग	**2,850,779.43**	**1,591,026.77**

स्रोत: नाबार्ड

अनुबंध-I I

'कृषि ऋण के कारण किसान द्वारा आत्महत्या' के संबंध में दिनांक 19/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4293 के भाग (ग) एवं (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बाँस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन

*****